# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/163/2021 | 21–10–2021 | 20–09–2022 |

01– सीताराम उर्फ सुगनी पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी तहसील बानसूर जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 342/2019

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 342/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.75 है0, 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्वर में से 0.10 है0 एवम 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्वर में से 0.05 है0 में सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी/3 माह का सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई जॉच नही की गयी न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये और न ही अपीलार्थी को उससे जिरह करने का मौका दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तथ्यो से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना साबित नही पाया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नही रही है, और न ही वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा है, जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व के निर्णय की सत्यापित प्रति प्रति पत्रावली पर पेश नही की गयी है, जवकि विधिक रूप से पूर्व निर्णय की सत्यापित प्रति पेश किया जाना आवश्यक है। विवादित आदेश विना विधिक प्रकिया अपनाये तथा प्राकृतिक व न्यायिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

सिद्वान्तो कि विरूद्व पारित किया गया है। अपीलार्थी आराजी पर कतई अतिक्रमी नही है, बेजा अतिक्रमी धोषित किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण बाबत जो रिपोर्ट पेश की गयी है, मौके कब्जे व विधि के विरूद्व पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.02.2019 की जाकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से दिनाक 08.10.2019 को तब हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुॅचकर अपीलार्थी को उक्त विवादित आदेश के बारे में बतलाते हुए बेदखल करने की धमकी दी तथा शास्ति जमा कराने के लिए कहॉ जिस पर विवादित आदेश की नकल हेतु दिनाक 09.10.2019 को आवेदन पत्र पेश कर दिनाक 17.10.2019 को नकल प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील की गयी है, दिनाक 22.02.2019 से आज दिनाक तक का समय जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ है, जो लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है, जिस हेतु दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पेश पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनाक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा राजकीय भूमि में अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरूद्व न्यायालय हाजा को दिनाक 20.11.2019 को अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 17.10.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई जॉच नही की गयी न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये और न ही अपीलार्थी को उससे जिरह करने का मौका दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तथ्यो से विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होना साबित नही पाया गया है। अपीलार्थी का विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नही रही है, और न ही वर्तमान में अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी हल्का थानागाजी द्वारा दिनांक 14.01.2019 को सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.75 है0, 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्वर में से 0.10 है0 एवम 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैरमुमकिन खाल खद्वर में से 0.05 है0 में सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 28.1.2019 को तलब किया गया जारी नोटिस की तामील स्वयं अतिक्रमी को करायी गयी अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 08.02.2019 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। जिसकी तामील स्वयं अतिक्रमी को करायी गयी अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 22.02.2019 नियत की गयी नियत तिथि पर अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर अवगत कराया है, कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 3.04, 653 रकबा 2.27 है0, 652 रकबा 2.80 है0 व 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर से अपना कब्जा हटा लिया गया है, और वर्तमान में उक्त भूमि पर मैरा कोई कब्जा नही है, तथा न ही भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करूगा। बयान पटवारी हल्का के लिये गये जिसमें उल्लेख किया गया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी पर अतिक्रमी सुगनी पुत्र भागीरथ द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूर्व में बेदखल किया गया है, अब पुनः अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण पश्चातवृर्ती है, और बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, अर्थात आदतन अतिचारी है। प्रकरण में तहसीलदार से पृथक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौंका रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 के अनुसार मौके पर अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अवगत कराया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो से अतिक्रमी का कब्जा होना स्वीकार किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण/पश्चातवर्ती साबित होता है। वर्णित आराजीयात की किस्म बारानी द्वितीय/गै0 मु0 खाल राजकीय भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

**निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

20-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)